



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

सुशील बी. पखीडे

Sushil B. Pakhide

सहायक कुलसचिव

Assistant Registrar

दुरभाष / Phone : + 91-7152-230 906

फैक्स / : + 91-7152-232 994

पत्रांक : 002/2019-20/परिपत्र/206

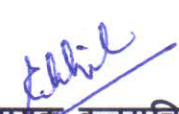
दिनांक : 27-12-2019

परिपत्र

विषय :- गैर-उपभोज्य सामग्रियों के भौतिक सत्यापन के संदर्भ में।

वित्त विभाग द्वारा जारी दिनांक 21-11-2019 के परिपत्र के अनुसार विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाता/केंद्र/इकाई प्रमुख तथा अन्य विभागों/कार्यालयों से उनके यहाँ उपलब्ध गैर-उपभोज्य सामग्रियों की सूची दिनांक 09-12-2019 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। आज दिनांक 27-12-2019 तक मात्र 18 जगहों मात्र से ही सूची प्राप्त हुई है।

अतः वे विभाग/कार्यालय जिन्होंने उक्त सूची अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है, कृपया दिनांक 31-12-2019 तक यह सूची वित्त विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि भौतिक सत्यापन का कार्य यथाशीघ्र संपन्न किया जा सके।


(सहायक कुलसचिव)

प्रति : 1)✓ कुलपति कार्यालय 2) समस्त अधिष्ठाता/विभाग/केंद्र/इकाई प्रमुख 3) कुलसचिव कार्यालय
4) वि.वि. के समस्त विभाग/अनुभाग 5) लीला प्रभारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु